

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)

Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)

Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांक: 2670 / काउंसलिंग / 2026-27

दिनांक: 23 . 10.2026

सूचना

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि संस्थान, जिनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2026-27 की मान्यता/स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, ऐसे संस्थान सत्र 2026-27 में संस्थान स्तर पर नव प्रवेशित छात्रों का पंजीकरण निम्नवत समय-सारणी अनुसार विश्वविद्यालय काउंसलिंग पोर्टल में किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

सत्र 2026-27 में एल0एल0बी0, बी0ए0एल0एल0बी0 व बी0बी0ए0एल0एल0बी0 पाठ्यक्रमों में नव प्रवेशित छात्रों के पंजीकरण हेतु समय-सारणी

विधि संस्थानों द्वारा संस्थान स्तर पर सत्र 2026-27 में विधि पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के विश्वविद्यालय ऑनलाईन काउंसलिंग पोर्टल पर पंजीकरण हेतु निर्धारित तिथियां

दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 तक

नोट:-

- संस्थान 10 रु0 के स्टॉप पर एक शपथ पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ संस्थान को प्रवेशित छात्रों का विवरण उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेशित छात्रों का पठन-पाठन समयबद्ध पूर्ण कराया जायेगा तथा संस्थान विश्वविद्यालय व नियामक संस्था के समस्त मानकों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यदि उक्त में कोई कमी पायी जाती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी।
- ऐसे संस्थान जिनको आतिथि तक बी0सी0आई0 नई दिल्ली की सत्र 2026-27 की मान्यता/स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, उनके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 से पूर्व बी0सी0आई0, नई दिल्ली की मान्यता/स्वीकृति प्राप्त किये जाने की दशा में ही संस्थानों को उक्त प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 31 अक्टूबर, 2026 से पूर्व बी0सी0आई0, नई दिल्ली की सत्र 2026-27 की मान्यता/स्वीकृति प्राप्त न होने तथा अंतिम तिथि समाप्ति उपरांत प्राप्त होने की स्थिति में संस्थानों के नवीन प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान का होगा।

(नरेन्द्र लाल)

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में प्रेषित।
- कुलसचिव, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0, देहरादून।
- नोडल अधिकारी काउंसलिंग, वी0मा0सिं0भ0उ0प्रौ0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- इंचार्ज यू0एम0एस0 पोर्टल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्राचार्य/निदेशक, समस्त विधि संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्री गोरभ भंडारी को ई-मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित किये जाने हेतु।
- कार्यालय प्रति।

(नरेन्द्र लाल)

उप कुलसचिव